

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 112 वीं बैठक दिनांक 07.11.2007 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण, एजेण्डा संख्या 1, 14 से 16 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 17 से 20 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा संख्या 5 से 10, 18 से 20 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 6 वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) एवं एजेण्डा संख्या 2 से 4, 11 से 13, 17, 21 से 25 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 7 से 16 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री पी.के. पाण्डेय, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरि शंकर भारद्वाज, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री महेन्द्र सोनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अरुण गर्ग, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-स्कीम्स) जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमति आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री हीरा लाल वर्मा, उप नगर नियोजक जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री शंकरा राम, उप नगर नियोजक जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री मुरलीधर चेजारा, नगर नियोजक सहायक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री भरत माली, सहायक नगर नियोजक जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
15. श्रीमती रिकु बंसल, सहायक नगर नियोजक, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री रामस्वरूप शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री जी.एस. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
19. श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा, उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
20. श्री आर. एस. चौहान, सहायक रजिस्ट्रार, (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा आइटम सं:-1



विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 110 वीं बैठक दिनांक 27.08.2007 एवं 111 वीं बैठक दिनांक 05.09.2007 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा आइटम सं:-2 जोन-5

विषय:- श्री महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की प्रेम नगर विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 5 से 10 के पीछे सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया। संख्या 5 से 10 के पीछे सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने के संबंध में।

एजेण्डा आइटम सं:-3 जोन-5

विषय:- न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर के 80' चौड़ी सडक पर श्याम मन्दिर के नाम से अंकित सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज निर्धारण किये जाने बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-4 जोन-5

विषय:- जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आयुष्मान सिंह नगर के भूखण्ड संख्या 46 के साथ व भू. सं. 8, 35 व 36 के सामने स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज निर्धारण किये जाने बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज राजकीय विद्यालय के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-5 जोन-6

विषय :-निजी खातेदारी के भूखण्ड संख्या-5, ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 871/2 का रूपान्तरण कर व्यावसायिक नियमन कर पट्टा/लीजडीड की स्वीकृति हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम झोटवाडा के खसरा संख्या 5 के सामने खातीपुरा रोड को 100' उत्तर की ओर स्थित सडक को 20' व दक्षिणी ओर स्थित सडक को 30' करते हुए, सडकों के मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि काटकर शेष भूखण्ड का मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग अनुसार व्यावसायिक नियमन कर नियमानुसार भू-उपान्तरण शुल्क, उप विभाजन शुल्क व अन्य कोई शुल्क यदि देय है लेते हुए नियमन कर दिया जायें। भूखण्ड में जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार निम्नानुसार सैट बैक रखे जावें।

पूर्व में	-	20'0"
उत्तर एवं	-	10'0"
दक्षिण में	-	10'0"
पश्चिम में	-	10'0"

एजेण्डा आइटम सं:-6 जोन-6

विषय :- श्री लक्ष्मी नारायणपुरी हा.को.सो.लि. स्कीम (III) झोटवाडा योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र 706.12 वर्ग गज का एण्ड यूज सुविधा क्षेत्र से पार्क में परिवर्तन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र (706.12 वर्गगज) का एण्डयूज सुविधा क्षेत्र से पार्क में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या-7 (जोन-7)

विषय :-हथरोई गढी निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक नगर के भूखण्ड संख्या 181 के नियमन बाबत।

एजेण्डा आइटम सं:-18 जोन-7

विषय:- हथरोईगढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक नगर के भूखण्ड संख्या 171 से 189 सूची में नाम अंकित न होने के कारण नियमन एवं पट्टा जारी करने के संबंध में।

एजेण्डा संख्या 7 व एजेण्डा संख्या 18 एक ही योजना व समान प्रकृति के होने के कारण समिति के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 171 से 189 के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग से रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायें।

एजेण्डा आइटम सं:-8 जोन-7

विषय :-म्यूचुअल हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना शिव नगर-ए, कालवाड रोड भूखण्ड संख्या 245, 246, 247 एवं 248 का पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 245 से 248 का नियमानुसार पुर्नगठन कर 220 K.V. H.T. लाईन के मध्य से 17.5 मीटर सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए शेष बचे हुए भूखण्ड का नियमन कर दिया जायें।

एजेण्डा आइटम सं:-9 जोन-7

विषय:- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कोस्मो कॉलोनी के भूखण्डों के सामने स्थित सड़क को विलोपित करने बाबत।

प्रार्थी द्वारा ले आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 18, 19, एवं 20 से 23 के मध्य दर्शायी गई 30' चौड़ी सड़क (CuI-De-Sec) की भूमि, जो जविप्रा में निहित हो चुकी है, के आवंटन एवं तत्पश्चात् भूखण्ड संख्या 16, 17, 17ए, 17बी, 18, 19, 20, 21, 22 व 23 के पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

जोन द्वारा प्रस्तुत उक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं पाया गया कि यदि जविप्रा में निहित उक्त सड़क (CuI-De-Sec) के आवंटन/निष्पादन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा आवेदकों को दी जाती है तो संदर्भित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति अपरिहार्य है। यदि राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो संदर्भित रोड (CuI-De-Sec) के विलोपित होने की स्थिति में योजना मानचित्र के शेष भाग पर किसी प्रभाव का प्रश्न शेष नहीं रह जाता है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण तदानुसार राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या-10 (जोन-7)

विषय :-नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विद्युत नगर-बी के भूखण्ड संख्या-11 के साईट सैट बैक ऑमित करने के सम्बन्ध मे।

समय अभाव के कारण प्रकरण पर विचार विमर्श नहीं हो पाने के कारण प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिए स्थगित रखा गया।

एजेण्डा आइटम सं:-11 जोन-9

विषय:- निजी खातेदार की योजना प्रीम प्रोविन्स, गोनेर, तहसील सांगानेर निर्णय के संबंध में।

प्रकरण को स्थगित कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-12 जोन-10

विषय:- हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदीश कोलोनी के भू सं. 7 से 16 के उपर से गुजर रही एच.टी.लाईन हटने के कारण इन भूखण्डों के नियमन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में भू सं. 7 से 16 के उपर से वर्तमान में एच.टी.लाईन हटा दी गई है अतः इन भूखण्डों को अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-13 जोन-11

विषय:- पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना महादेव नगर ग्राम बगरूकला की धारा 25(2) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जावे।।

एजेण्डा आइटम सं:-14 जोन-11

विषय:- सेक्टर प्लान 51, 52, 53, दर्शित 60 फीट चौड़ी सेक्टर रोड के संशोधन बाबत।

समय अभाव के कारण प्रकरण को स्थगित कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-15 जोन-11

विषय:- अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना (पवन वाटिका) वाटिका रोड के भूखण्ड संख्या 26-ए, 26-बी, 26-सी के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 26-ए, 26-बी, 26-सी, में से हाईटेन्शन लाईन हट जाने के कारण भूखण्ड संख्या 26-ए, 26-बी, 26-सी को इन भूखण्डों के सामने की सडक की चौड़ाई 30'-0" करते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-16 जोन-11

विषय:-निजी खातेदार मैसर्स ओमेक्स कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. की योजना ओमेक्स सिटी अजमेर रोड़, जयपुर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

समय अभाव के कारण प्रकरण को स्थगित कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं:-17 जोन-5

विषय:- दी अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीपुरम योजना के भूखण्ड संख्या 130 व 145 के साथ व भूखण्ड संख्या 167 व 171 के सामने अनुमोदित योजना में दर्शित सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क के रूप में किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम संख्या-19 (जोन-7)

विषय :-संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफीसर्स कैम्पस ब्लॉक शिपिटिंग एवं 40' सेक्टर रोड की चौड़ाई के सम्बन्ध में।



समय अभाव के कारण प्रकरण पर विचार विमर्श नहीं हो पाने के कारण प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिए स्थगित रखा गया।

एजेण्डा आईटम संख्या-20 (जोन-7)

विषय :-राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक विहार-ए, के भूखण्ड संख्या 69 की मौके की स्थिति अनुसार अनुमोदन हेतु।

समय अभाव के कारण प्रकरण पर विचार विमर्श नहीं हो पाने के कारण प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिए स्थगित रखा गया।

एजेण्डा आईटम सं:-21 जोन-9

विषय:- मारुती नगर विस्तार (बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. भू.सं. 1, 17 व 8, 10 के मध्य 12 व 19 फीट चौड़ी रोड़ को 20 फीट किया जावे क्यों कि यह रोड़ लिंक भूखण्ड संख्या 10, 8 तक ही समिति है।
2. भू.सं. 1 व 7 के सामने (पश्चिम दिशा) की रोड़ को जो 17 फीट चौड़ी उसे 30 फीट चौड़ी रोड़ को लिंक करते हुये 30 फीट किया जावे।
3. भू.सं. 1 व दुकान की उत्तर दिशा की सड़क को सेक्टर प्लान अनुसार आवश्यक कटोती करते हुये 40 फीट चौड़ी रोड़ किया जावे।
4. योजना में दुकानों को नियमानुसार गैर अनुमोदित किया जावे।

योजना के दक्षिण पश्चिम भाग से योजना मारुती नगर की 30 फीट चौड़ी रोड़ आकर लिंक करती है तथा इसे सेक्टर 40 फीट चौड़ी रोड़ में लिंक किये जाने से प्रभावित भूखण्ड संख्या 4ए, 6 व 7 का सेट बैक्स नही मिलने के कारण गैर अनुमोदित किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा आईटम सं:-22 जोन-9

विषय:- योजना इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी (मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना की जेड.सल.सी. के प्रस्तावानुसार योजना के आंतरिक सड़को को 40 फीट चौड़ा रखा जावे।
2. भूखण्ड संख्या 57 को बिल्टअप एरिया नही मिलने के कारण नियमन नही किया जावे।
3. योजना में भूखण्ड संख्या 46, 47, 48, 49 एल.टी लाईन से प्रभावित है। एल.टी लाईन हटने के पश्चात् ही इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
4. मौके पर पूर्व दिशा में 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है परन्तु यह सड़क बुद्धविहार योजना से लिंक नहीं होती है एवं एलाईन्मेन्ट में काफी परिवर्तन है अतः मौके की स्थिति अनुसार भू. सं. 93 व 81 के पूर्व दिशा से होते हुये 60' चौड़ी सेक्टर सड़क के एलाईन्मेन्ट में परिवर्तन किया जावे।
5. योजना का आवासीय क्षेत्रफल 70.38 प्रतिशत है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा आईटम सं:-23 जोन-9



विषय:- योजना श्री विहार (विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का आवासीय क्षेत्रफल 70.14 प्रतिशत है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-24 जौन-9

विषय:- ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 232 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 233 रकबा 1.54 हैक्टेयर, 230/211 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल 1.62 हैक्टेयर पर महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जैन कोलोनी को अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. भूखण्ड संख्या 16 से 30 व 31, 59 के मध्य योजना में 30' चौड़ी सड़क गुजरती है जो सेक्टर प्लान के अनुसार 40' चौड़ी प्रस्तावित है। अतः इस सड़क को 40' चौड़ी किया जावे।
2. योजना में 60' चौड़ी सेक्टर रोड 40' चौड़ी सेक्टर रोड से मिलती है परन्तु योजना के भूखण्ड संख्या 7 व 24 का अधिकांश भाग प्रभावित होता है इन भूखण्डों पर पूर्ण/आंशिक निर्माण किया हुआ है इसलिये इस स्थल पर 60' चौड़ी सेक्टर रोड को विलोपित किया जावे एवं भूखण्ड संख्या 7, 24 व 8, 23 के मध्य 30' चौड़ी सड़क को 40' चौड़ी किया जावे तथा 60' चौड़ी सड़क को भू. सं. 7 तक ही समिति रखा जावे एवं भूखण्ड संख्या 7 व 24 के सड़क क्षेत्र में आ रहे भाग को छोड़कर अनुमोदित किया जावे।
3. योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30' चौड़ी किया जावे।
4. योजना का आवासीय क्षेत्रफल 74.23 प्रतिशत है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-25 जौन-9

विषय:- योजना शिक्षा विहार (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन बाबत। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये।

1. भूखण्ड संख्या ए-308 के पश्चिम दिशा में योजना स्वरूप विहार के 40 फीट चौड़ी रोड़ आकर मिलती है मौके पर भूखण्ड में निर्माण किया हुआ है एवं प्रश्नगत योजना से उक्त भूखण्ड को लिंक किया जाना भी संभव नहीं है अतः इस भूखण्ड का अनुमोदन किया जावे।
2. सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मानचित्र में 40 फीट चौड़ी रोड़ दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः इस सड़क को 40' ही रखते हुये नियमन की कार्यवाही की जावे।
3. भूखण्ड संख्या ए-334 बी का खसरा सीमा में आंशिक भाग ही आता है शेष भाग खसरा सीमा से बाहर है अतः इसे गैर अनुमोदित किया जावे।
4. जिन भूखण्डों में नियमानुसार सेटबैक्स अंकित किये जाने के पश्चात बिल्टअप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम संख्या-1 जौन-6

विषय :-कालवाड रोड से निवारू रोड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 200'0" सैक्टर सडक को विलोपित अथवा एलायमेंट बदलने बाबत ।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 200'0" सैक्टर रोड को विलोपित करने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) के अन्तर्गत जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जावे ।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-2 जोन-6

विषय :-सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विकास नगर विस्तार (सैक्टर-47)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति की निर्मित योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्रफल हेतु जारी आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना का नियमन कर दिया जावे ।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-3 जोन-6

विषय :- भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रूचि विहार (सैक्टर-47)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति की निर्मित योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक आवासीय क्षेत्रफल हेतु जारी आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना का नियमन कर दिया जावे ।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-4 जोन-6

विषय :- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्मल विहार (सैक्टर-33)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से योजना का नियमन / अनुमोदन करने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया ।

1. योजना का अनुमोदन बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 15.03.2002 में हुआ था किन्तु बीपीसी के निर्णय की अनुपालना में मानचित्र रिलीज नहीं हुआ है अतः पूर्व बीपीसी के निर्णय को निरस्त किया जावे ।
2. योजना से गुजर रही एचटी/एलटी लाईनों से प्रभावित भूखण्डों की सुरक्षा दूरी छोड़ने या लाईन शिफ्ट होने की स्थिति में ही नियमन किया जावे ।
3. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत 338 सदस्यों की सूची के अनुसार ही भूखण्डों का नियमन किया जाये, उपविभाजित भूखण्डों से नियमानुसार उपविभाजन शुल्क वसूल कर नियमन किया जाये ।
4. योजना में दर्शित दुकानें एवं जिन आवासीय भूखण्डों में गैर आवासीय गतिविधियां चल रही है उनका नियमन नहीं किया जावे ।
5. सैक्टर रोड से प्रभावित भूखण्डों का नियमानुसार निर्मित क्षेत्रफल मिलने पर ही नियमन किया जावे ।
6. योजना की आन्तरिक सडकों की चौड़ाई नियमानुसार कम से कम 30 फीट रखा जावे ।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-5 जोन-6

विषय :- सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवनपुरी (सैक्टर-33)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से योजना का नियमन/अनुमोदन करने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया ।

1. उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि योजना Cut of Date से पूर्व की प्रस्तुत है ।
2. योजना के भूखण्ड संख्या 80, 81, 82 व 528 से 531 पूर्णरूप से 60 फीट सैक्टर रोड से प्रभावित होने के कारण नियमन योग्य नहीं है । भूखण्ड संख्या 46 से 58, 374 से 399 योजना की 60 फीट

सेक्टर रोड से आंशिक रूप से प्रभावित है अतः सडक से प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग पर नियमानुसार निर्मित क्षेत्रफल मिलने पर ही इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।

3. योजना की आन्तरिक सडकों की चौड़ाई नियमानुसार कम से कम 30 फीट रखी जावे।
4. योजना में दर्शित दुकानों का नियमन नहीं किया जावे। आवासीय भूखण्डों पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन नहीं किया जावे।
5. योजना से गुजर रही एचटी/एलटी लाईनों से प्रभावित भूखण्डों की सुरक्षित दूरी छोड़ने या लाईन शिफ्ट होने की स्थिति में नियमानुसार निर्मित क्षेत्रफल मिलने पर भूखण्डों का नियमन किया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 480-ए एवं 480 के स्वामित्व की जांच कर नियमन किया जाये।
7. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 87 से 108 तक विलोपित दर्शाये हैं अतः योजना मानचित्र में इन भूखण्डों को विलोपित रखा जावे।
8. योजना के मध्य से गुजर रही 200 फीट सेक्टर रोड से पूर्ण रूप से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे, एवं आंशिक रूप से प्रभावित भूखण्डों का नियमानुसार निर्मित क्षेत्रफल मिलने पर ही नियमन किया जावे।
9. योजना के आंशिक भाग की पार्क एवं ओपन स्पेस से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।
10. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची के अनुसार ही भूखण्डों का नियमन किया जाये, उपविभाजित भूखण्डों से नियमानुसार उपविभाजन शुल्क वसूल कर नियमन किया जाये।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या-6 जोन-6

विषय :- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चौमू रोड (सेक्टर-19)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :

इस योजना के दक्षिण में स्थित 40' सेक्टर रोड पर स्थित भूखण्डों की भूमि में से रोड हेतु कितनी भूमि ली गई है, एवं पथ नंबर 7 में 40' सेक्टर रोड से लगते हुए भूखण्डों का शून्य सैट बैक किस आधार पर दिया गया है की जांचकर, इस योजना में तदानुसार कार्यवाही कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम सं.-7(जोन- 4)

विषय:-हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव शक्ति नगर बी के शेष खसरा नं.

220/343 ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानरे का नियमन के संबंध में।

हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव शक्ति नगर बी के स्थित खसरा नं. 220/343 की 90बी नहीं होने के कारण उक्त खसरा नंबर में स्थित भूखण्ड संख्या 32 से 42 (11 भूखण्डों) को गैर अनुमोदित करने का निर्णय बी.पी.सी. (एलपी) की 109वीं बैठक दिनांक 26.07.07 में किया गया। जोन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त खसरा नं. की 90बी की जा चुकी है अतः इसे योजना में शामिल करने पर आवासीय प्रतिशत 66.53 बनता है, अतः इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-8-जोन-10

विषय:- लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना द्वारिकापुरी (स्कीम नं. 52) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये।

1. सेक्टर 34 में अंकित 60' सेक्टर रोड योजना के पूर्व व दक्षिण से लगती हुई निकलती है जिस कारण प्रभावित भूखण्डों में से सडक क्षेत्र हेतु क्षेत्रफल कम किया जावे।



9. योजना मानचित्र मे भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबेक रखे जावे।
10. योजना मे सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में पृथक से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावें

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-10-जोन-10

विषय:- पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना फेन्डस् कालोनी- बी के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना मुख्य 160 फीट खो-नागोरियान रोड पर स्थित है। अतः सडक के केन्द्र से 80 फीट भूमि सडक क्षेत्र हेतु आरक्षित की जावे।
2. अमीन द्वारा अंकित खसरा बाउण्ड्री के अनुसार कुल क्षेत्रफल की गणना की गई है। खसरा सीमा से बाहर स्थित भूमि का नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना की सभी आन्तरिक सड़को को 30 फीट किया जावे।
4. जिन भूखण्डो को सैट बैक लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है उन्हे गैर अनुमोदित किया जावे।
5. 160 फीट खो-नागोरियान रोड के पश्चात नियमानुसार 30 फीट चौडाई की भूमि प्लांटेशन कोरिडोर हेतु आरक्षित है। पूर्व मे जारी आदेशानुसार प्लांटेशन कोरिडोर की भूमि को अंग्रिम सैटबैक के रूप मे माना जावे।
6. मौके पर जिन भूखण्डो में व्यावसायिक गतिविधिया चल रही है, उनमे से व्यावसायिक गतिविधि हटने के पश्चात ही लीज-डीड जारी किया जावे।
7. समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र मे अंकित दुकान संख्या 1 से 19 पूर्ण रूप से खो-नागोरियान रोड से प्रभावित है। अतः उन्हे गैर अनुमोदित किया जावे।
8. योजना के पूर्व में स्थित गैर अनुमोदित योजना इन्द्र विहार से इस योजना को जोडने हेतु भूखण्ड संख्या 6 को गैर अनुमोदित किया जावे।
9. भूखण्ड संख्या 5 से 10 के ऊपर से 11 के.वी. एच.टी. लाईन गुजर रही है। अतः एच.टी. लाईन के दोनो ओर नियमानुसार 15 फीट भूमि आरक्षित की जावे।
10. योजना मानचित्र मे भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबेक रखे जावे।
11. योजना मे सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में पृथक से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावें

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-11-जोन-10

विषय: हथरोई गढी गृह निर्माण समिति की योजना बाल विहार- ई के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना मुख्य 200 फीट गोनेर रोड पर स्थित है। अतः सडक के केन्द्र से दोनो ओर 100 फीट भूमि सडक क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जावे।



2. अमीन द्वारा अंकित खसरा बाउण्ड्री के अनुसार कुल क्षेत्रफल की गणना की गई है। खसरा सीमा से बाहर स्थित भूमि का नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना की सभी आन्तरिक सड़को को 30 फीट किया जावे। योजना के पश्चिम में स्थित सड़क को भी केन्द्र से दोनो ओर 15 फुट आरक्षित रखते हुए 30 फुट रोड किया किया जावे।
4. जिन भूखण्डो को सैट बैंक लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
5. 200 फीट गोनेर रोड के पश्चात नियमानुसार 50 फीट चौड़ाई की भूमि प्लांटेशन कारिडोर हेतु आरक्षित है। पूर्व में जारी आदेशानुसार प्लांटेशन कोरिडोर की भूमि को अंग्रिम सैटबैंक के रूप में माना जावे।
6. भूखण्ड संख्या 9, 10 व 11 में व्यावसायिक गतिविधिया (पताशा फैक्ट्री) चल रही है, अतः उक्त में से व्यावसायिक गतिविधि हटने के पश्चात ही लीज-डीड जारी किया जावे।
7. समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में अंकित दुकान संख्या 1 से 11 पूर्ण रूप से गोनेर रोड से प्रभावित है। अतः उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
8. योजना मानचित्र में भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबैंक रखे जावे।
9. योजना में सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में पृथक से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावें।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-12-जोन-10

विषय:- अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार-सी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. सैक्टर 34 में अंकित 40' सैक्टर रोड योजना के पूर्व से लगती हुई निकलती है जिस कारण योजना के भूखण्ड संख्या 11 से 14, 17 से 25 प्रभावित होते हैं। अतः उक्त भूखण्डों में से वर्तमान स्थित सड़क के केन्द्र से दोनो ओर 20 फीट सड़क क्षेत्र हेतु आरक्षित रखते हुए शेष क्षेत्रफल का नियमन किया जावे।
2. समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में खसरा न0 248 पर योजना सृजित नहीं है तथा खसरा न0 228 जो कि राजकीय भूमि है उसके कुछ भाग में योजना सृजित है। अतः राजकीय भूमि को सम्मिलित करते हुए, शेष जिस भाग में योजना सृजित है। उसी को योजना सीमा मानते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की गणना की जावे।
3. योजना की सभी आन्तरिक सड़को को 30 फीट किया जावे।
4. योजना के दक्षिण हिस्से में खसरा सीमा के केन्द्र से दोनो ओर 15 फुट आरक्षित रखते हुए 30 फीट रोड रखी जावे।
5. जिन भूखण्डो को सैट बैंक लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 24 पूर्ण रूप से 40 फीट सैक्टर रोड से प्रभावित है। अतः अस्वीकृत किया जावे।

2. अमीन द्वारा अंकित खसरा बाउण्डी को आधार मानते हुए योजना क्षेत्रफल की गणना की गई है।
3. योजना की सभी आन्तरिक सड़को को 30 फीट किया जावे।
4. जिन भूखण्डों को सैट बैक लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
5. मौका अनुसार भूखण्ड संख्या 19 (177.30 व.ग.) व 25(255 व.ग.) में वर्तमान में कच्चे रास्ते से आवाजाही की जा रही है, लेकिन समिति के योजना मानचित्र में यह भूखण्ड सृजित किये गये हैं अतः इन भूखण्डों को नियमित किया जावे।
6. जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें व्यावसायिक गतिविधि हटने के पश्चात ही लीज-डीड जारी किया जावे।
7. मौके पर भूखण्ड संख्या 2, 81 व 82 के ऊपर से एल.टी. लाईन गुजर रही है। अतः उक्त एल.टी. लाईन के हटने के पश्चात ही इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
8. मौके पर भूखण्ड संख्या 36 पर मस्जिद निर्मित है। अतः उक्त भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र के अर्न्तगत रखा जावे।
9. योजना मानचित्र में भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबैक रखे जावे।
10. योजना का आवासीय क्षेत्रफल 71.46 प्रतिशत है अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
11. योजना में सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में पृथक से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-9-जोन-10

विषय: हथरोई गढी गृह निर्माण समिति की योजना किशन विहार के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये।

1. सैक्टर 34 में अंकित प्रभावित सैक्टर रोड का समायोजन योजना मानचित्र में करते हुए प्रभावित भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे।
2. खसरा सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि का ही नियमन किया जावे। अतः जिन भूखण्डों को खसरा सीमा लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है, उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
3. योजना की सभी आन्तरिक सड़को को 30 फीट किया जावे।
4. जिन भूखण्डों को सैट बैक लगाने के पश्चात बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
5. 132 के.वी. एच.टी. लाईन के दोनों ओर नियमानुसार 50 फीट भूमि का नियमन नहीं किया जावे।
6. भूखण्ड संख्या 5ए, 6, 7, 36 व 37 में मौके पर शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं। अतः नियमन नहीं किया जावे।
7. खातेदार की भूमि (खसरा न0 312) को योजना का भाग नहीं माना जावे।
8. जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें व्यावसायिक गतिविधि हटने के पश्चात ही लीज-डीड जारी किया जावे।

7. जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधिया चल रही हैं, उन्हें व्यावसायिक गतिविधि हटाने के पश्चात् ही लीज-डीड जारी की जावे।
8. योजना के पश्चिम में स्थित रास्ते को मौकानुसार यथावत रखते हुए अनुमोदन किया जावे।
9. योजना मानचित्र में भवन विनियम 2000 अनुसार सैटबैक रखे जावे।
10. योजना में सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में पृथक से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-13-जोन-4

विषय:-शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर विहार (इ) की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. सोसायटी मानचित्र व मौका सर्वे मानचित्र में भू. सं. 16 अंकित नहीं है जबकि योजना के भूखण्डधारियों की सूची में भू. सं. 16 दर्शाया गया है मौके पर भू.सं. 17 के स्वामि द्वारा भूखण्ड संख्या 16 के साथ होना बतलाया है। अतः मौके की स्थिति अनुसार एवं सहकारिता विभाग की राय प्राप्त कर जोन स्तर पर निर्णय लिया जावे।
2. सोसायटी के योजना मानचित्र में भू. सं. 17 व 23 के ब्लॉक में भू. सं. 23 दर्शाया है इसी प्रकार भू. सं. 23 से 28 के ब्लॉक में भी भू. सं. 23 दर्शाया गया है जबकि भूखण्डधारियों की सूची में भी भू. सं. 23 एक ही दर्शाया गया है। अतः भू. सं. 23 के दस्तावेजों की जाँच के पश्चात् ही जोन स्तर पर निर्णय लिया जाकर नियमन किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 14, 15 व 17 के मध्य मौके पर 20' लेन उपलब्ध है यह लेन आगे नहीं जाती है तथा मन्दिर के गेट तक जाकर बन्द हो जाती है अतः मौका स्थित अनुसार 20' ही स्वीकृत किया जावे।
4. भू. सं. 1, 2, 43 से 46, 51 व 52 के पूर्व में गेटोर रोड से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क 29'-3" से 30' चौड़ी उपलब्ध है जबकि एयरपोर्ट डवलपमेन्ट प्लान अनुसार रोड की चौड़ाई 40' प्रस्तावित है अतः रोड के दोनों ओर के भूखण्ड से समान रूप से भूमि लेते हुये रोड 40' रखी जावे।
5. भू. सं. 23, 34, 35, 36, 49, 50, 52 के उत्तर में मौके पर रोड 18' से 23' चौड़ी उपलब्ध है। जबकि एयरपोर्ट डवलपमेन्ट प्लान अनुसार रोड की चौड़ाई 40' प्रस्तावित है अतः रोड के दोनों ओर के भूखण्ड से समान रूप से भूमि लेते हुये रोड 40' रखी जावे।
6. योजना के भू. सं. 40 व 46 में दुकान निर्मित है अतः दुकानें हटाने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
7. योजना में सेक्टर प्लान अनुसार 40' चौड़ी सड़कों को छोड़ते हुये शेष सभी आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 30' रखी जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-14-जोन-4

विषय:- श्री महाराज गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना में भूखण्ड संख्या 1 से 11 के उत्तर में मौके पर रोड 28'-5" से 40' तक उपलब्ध है एवं ईन्कम टैक्स कोलोनी द्वितीय में 40' चौड़ी सड़क स्वीकृत की गई है अतः इस योजना में भी सड़क 40' चौड़ी रखी जावे।
2. भूखण्ड सं. 12, 40, 39, 38, 37 के उपर से विद्युत लाईन जा रही है अतः इन भूखण्डों का नियमन विद्युत लाईन हटने के पश्चात् ही किया जावे।
3. योजना के सहकारी समिति के मानचित्र में भू. सं. 10 11 के दक्षिण में तथा भू. सं. 12 के पश्चिम में सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है जिसे सुविधा क्षेत्र ही रखा जावे।
4. भू. सं. 35 व 26 के दक्षिण में एक अन्य सुविधा क्षेत्र है जो सेक्टर प्लान की 80' चौड़ी सड़क से प्रभावित है इस सुविधा क्षेत्र की भूमि को 80' चौड़ी सड़क के अन्तर्गत रखा जावे।
5. रेलवे सीमा को छोड़कर जयपुर दिल्ली रेलवे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 80' चौड़ी सेक्टर रोड से भू. सं. 25 व 36 पूर्ण रूप से प्रभावित है, जिन्हें अस्वीकृत किया जावे एवं सड़क क्षेत्र में आ रही भूमि के मुआवजे के संबंध में अलग से पत्रावली पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही की जावे। इसी रोड पर भू. सं. 24, 26, 35 36ए आंशिक प्रभावित होते हैं लेकिन भूखण्ड संख्या 26 व 36ए में सैटबैक के उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है अतः इन्हें अस्वीकृत किया जावे एवं शेष भूखण्ड 24 व 35 की रोड से प्रभावित भूमि को कम करते हुये स्वीकृत किया जावे।
6. सेक्टर प्लान अनुसार मुख्य जगतपुरा बाईपास से 100' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जो मौके पर 68'.5" से 69'.5" चौड़ी उपलब्ध है तथा योजना में दुकानें प्रस्तावित है सेक्टर प्लान की प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क हेतु दोनों ओर से समान भूमि लेते हुये 100' चौड़ी ही स्वीकृत की जावे तथा योजना मानचित्र में प्रस्तावित सभी 23 दुकानें अस्वीकृत की जावे।
7. भू. सं. 1 में गार्डन, रेस्टोरेन्ट व भू. सं. 19 में हास्टल चल रहा है इन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां बन्द होने पर आवासीय नियमन किया जावे।
8. योजना में 1933 वर्ग गज राजकीय भूमि सम्मिलित है जिसे सम्पूर्ण योजना में समान रूप से सम्मिलित करते हुये योजना नियमन राशि बाबत् पत्रावली पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जावे।
9. जगतपुरा बाईपास प्रारंभ होकर रेलवे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के जंक्शन पर सवाई चक भूमि स्थित है जिस पर श्री रामरतन शर्मा का कब्जा है तथा निर्माण किया हुआ है। उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष अवगत करवाया गया कि श्री रामरतन शर्मा का पिछले 30 वर्षों से इस भूमि पर कब्जा है एवं सड़क क्षेत्र में अन्य भूखण्डधारी भी प्रभावित हैं अतः 80' चौड़ी सड़क क्षेत्र में आ रहे भाग से कब्जा हटाया जाकर इन्हें अन्यत्र भू-क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः अन्यत्र भू-क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाने अथवा मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में पथक से पत्रावली पर प्रशासनिक निर्णय करवा लिया जावे।
10. उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-15-जोन-4

विषय:- श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव वाटिका ग्राम सवाई गैटोर के स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. सेक्टर प्लान संख्या 9 पार्ट द्वितीय में योजना स्थल पर रेलवे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सैक्टर रोड से योजना के भूखण्ड संख्या 6, 7, 7ए, 8, 25ए, 25बी, 32, 33, 34, 35, 36

प्रभावित होते हैं (इनमें भूखण्ड संख्या 6 व 7 आंशिक निर्मित है तथा भू. सं. 35 पूर्ण निर्मित है शेष भूखण्ड रिक्त है) जिन्हें अस्वीकृत किया जावे।

2. मौका सर्वे मानचित्र अनुसार योजनाके भू सं. 13 से 16 व भू. सं. 1 1ए, 1बी के मध्य 25 फीट चौड़ी रोड मौके पर निर्मित है, (जबकि सोसायटी मानचित्र में इस स्थल पर रोड नहीं दर्शाई गई है) इसके कारण योजना के भू सं. 13 से 16 का क्षेत्रफल कम हो गया है। रोड की चौड़ाई 30' चौड़ी रखी जावे।
3. योजना के भूखण्ड संख्या 17 से 20 व 26 से 28 के मध्य रोड 18 फीट से 20' चौड़ी व भूखण्ड संख्या 21 से 25 बी व Existing Abadi व भू सं. 32 के मध्य रोड 15' ही उपलब्ध है, तथा इस रोड पर मौके पर मकान बने हुये भी है। अतः इस रोड की चौड़ाई सेक्टर प्लान में दर्शाये अनुसार 40' चौड़ी ही रखी जावे।
4. योजना की सभी सडकों की चौड़ाई 30' चौड़ी स्वीकृत किया जावे।
5. योजना की सडकों की चौड़ाई 30' किये जाने से भू सं. 13 में जो क्षेत्रफल रहता है उसमें नियमानुसार सैट बैक छोडने के पश्चात् निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिये इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।
6. योजना के भू सं. 29, 30, 31, 35, 36 का कुछ भाग योजना की खसरा सीमा से बाहर है, मौके पर योजना अनुसार भूखण्ड सृजित है, ये भूखण्ड पूरण बाडी योजना के खसरों के कुछ भाग से प्रभावित है पूरण बाडी योजना की अभी 90बी नहीं हुई है। अतः भू सं. 29, 30, 31, 35, 36 में खसरा सीमा से बाहर की भूमि को कम किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-16-जोन-12

विषय:-लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना गायत्री विहार का भू-उपयोग परिवर्तन धारा 25(2) एवं 25(1) के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि गायत्री विहार योजना का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किया जावे।

विषय:- गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं की धारा 25(2) व 25(1) के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं की धारा 25(2) को निम्नानुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	योजना का नाम	मास्टर प्लान 2011 मे दर्शित भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	पटेल नगर गृ. नि. स. समिति की आवासीय योजना "सीतानगर-तृतीय" श्रीराम की नांगल/सांगानेर	ग्रामीण क्षेत्र	आवासीय
2.	पटेल नगर गृ. नि. स. समिति की आवासीय योजना "न्याय वाटिका" बीलवा, बीलवा, श्रीराम नगर की नांगल/ सांगानेर	ग्रामीण क्षेत्र	आवासीय
3.	गणपति गृ. नि. स. समिति की आवासीय योजना "गणेश विहार विस्तार " जय आनंदपुरा, जयचन्दपुरा चन्दलाई/चाकसू	ग्रामीण क्षेत्र	आवासीय

4.	गणपति गृ. नि. स. समिति की आवासीय योजना "बालाजी विहार-10" जय आनंदपुरा, जयचन्दपुरा चन्दलाई/चाकसू	ग्रामीण क्षेत्र	आवासीय
----	--	-----------------	--------

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम सं.-17 (जोन- 11)

विषय:- लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सरस्वती विहार विस्तार ग्राम बडी का बास के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में 116.66 वर्ग गज भूमि अधिक है इसलिए इस भूमि की नियमानुसार राशि नियमन शुल्क में शामिल की जावे।
2. मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए ग्रामीण से आवासीय में भू-उपयोग उपान्तरण किया जावे।
3. समिति द्वारा 64 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया है तथा सभी भूखण्डों का भू-आवंटन है इसलिए 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल करने के लिए आवंटित भूखण्डधारियों के भूखण्ड काटना उचित नहीं मानते हुए सर्वसम्मति से 64 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि मौके पर केवल चार दिवारिया बनी है मकान कोई निर्मित नहीं है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम सं.- 18(जोन- 12)

विषय:- जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीराम नगर ग्राम चौमू की योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग रिक्रेशनल नर्सरी ओचार्ड व आवासीय है इसलिए रिक्रेशनल नर्सरी ओचार्ड से आवासीय भू-उपयोग उपान्तरण किया जावे।
2. योजना बीपीसी एलपी की बैठक 107 दिनांक 19.05.2007 में स्वीकृत है जिसमें सरकारी भूमि 2 बीघा से अधिक होने के कारण योजना मानचित्र जारी नहीं किया गया था। अब नये आदेशों के तहत 2 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के संबंध में निर्णय प्राधिकरण स्तर पर लिया जा सकता है। अतः योजना में सरकारी भूमि 2 बीघा से अधिक होने के कारण योजना में सरकारी भूमि की कीमत नियमानुसार ली जाकर नियमन शुल्क जोन द्वारा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम सं.-19(जोन- 12)

विषय:- विकास भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना हरिया नगर ग्राम बैनाड तहसील आमेर की योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया:-


1. योजना में 100'-0" सडक पर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
2. योजना में 11 केवी की एचटी लाईन है इसलिए एचटी लाईन के दोनों ओर कम से कम 15'-0" दूरी छोड़ने के पश्चात् भूखण्ड स्वीकृत किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 11, 14, में सेटबैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलता है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जावे। योजना का नियमन स्थगन आदेश हटने के बाद किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा आइटम सं.-20 (जोन- 11)

विषय:- शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना श्रीराम नगर ग्राम खेडी गोकुलपुरा एवं श्योसिंह पुरा तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में प्रस्तावित 40'-0" सडक को 80'-0" किया जावे तथा दोनों ओर से बराबर भूमि ली जावे।
2. योजना में प्रस्तावित 40'-0" चौडी पर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
3. योजना में प्रस्तावित 25'-0" व 20'-0" सडकों को 30'-0" किया जावे इस हेतु दोनों ओर से बराबर भूमि ली जावे।


सदस्य सचिव,


भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2007/डी-603

दिनांक :- 15/11/07

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)